न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

रेफरेंस सं0 31/2008
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

.. प्रार्थी

बनाम

कॉपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा (सहभागी सदस्यगण)
जगदीश, हरीसिंह, विजेन्द्र पि0 लक्ष्मण जाति गुर्जर निवासी सबलपुरा हि. 78/273, राजाराम पुत्र भोमाराम हि. 50/273, मोहनपुत्र भोमाराम हि. 25/273, हरीसिंह पुत्र भोमाराम हि. 70/273, शिवलाल पुत्र भोमाराम हि. 25/273, बहादुर पुत्र भोमाराम हि. 25/273 जाति गुर्जर सा. सबलपुरा तह0 दौसा

.. अप्रार्थीगण

रैफरेंस अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

उपस्थितः 1. श्री मुरली मनोहर शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 11.1.2023

संक्षिप्त में रैफरेन्स प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय का रैफरेन्स प्रस्तुत किया गया कि कॉपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा तहसील दौसा के 26 सहभागी पाकिस्तानी विस्थापित शरणार्थियों के जीवन निर्वाह हेतु दिनांक 10.6.1949 को ग्राम दलेलपुरा तहसील दौसा में आराजी खसरा नंबर 29 रकबा 311 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 30 रकबा 74 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 67 रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा, खसरानंबर 71 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 74 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 75 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 77 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 78 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 92 रकबा 22 बीघा, खसरा नंबर 93 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 94 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 97 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 98 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 99 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 100 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 101 लगा0 147 रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 151 लगा0 165 रकबा 42 बीघा 6 बिस्वा, कुल रकबा 556 बीघा 3 बिस्वा का आवंटन किया गया था। जिसके आधार पर उक्त आवंटित भूमि बाबत कृषि सहकारिता के अनुसार कृषकों की सोसायटी दलेलपुरा का दिनांक 27.6.49 को क्रमांक 423 एल/27.6.49 को पंजीयन हुआ। उक्त कृषि सहकारी संस्था कॉपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी आदि में खातेदारी इन्द्राज किया गया। तत्पश्चात उक्त कॉपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा के प्रभाव में नही रहने के कारण राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 78 के अंतर्गत दिनांक 18.2.1986 को अवसायन में लाया जाकर सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉं दौसा के आदेश दिनांक 31.3.96 के द्वारा उक्त पंजीयन निरस्त कर दिया गया। भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान भू–प्रबंध विभाग द्वारा विक्रमी संवत 2041 में विभाग द्वारा सहकारी समिति दलेलपुरा के नाम दर्ज 468.04 हैक्टेयर भूमि कॉपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा के नाम अंकित रखते हुए शेष भूमि 87.88 हैक्टेयर भूमि 17 व्यक्तियों के नाम अलग–2 खातेदारी में अंकित करने का कोई कानूनी क्षेत्राधिकार नहीं था। उक्त सहकारी संस्था का अवसायन हो जाने एवं पंजीयन निरस्त हो जाने के कारण उक्त प्रश्नगत आराजी व्यक्तिगत

.....निरन्तर 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 18:19:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

खातेदारी में कानूनन अंकित नहीं की जा सकती थी तथा राज्य सरकार के हित में पुनर्ग्रहण की जानी चाहिए थी। इसी क्रम में उक्त 17 व्यक्तियों में अप्रार्थीगण के नाम खसरा नंबर 236 रकबा 2.73है.वाके ग्राम दलेलपुरा की खातेदारी अंकित कर दी गई है, जो कि उक्त कार्यवाही पूर्णतः अवैध है। ऐसी दशा में उक्त आराजी राजहित में पुनर्ग्रहित किये जाने योग्य है। साथ में आवंटन आदेश दिनांक 10.6.49 व कॉपरेटिव सोसायटी पंजीयन आदेश दिनांक 27.6.49 भूमि एकीकरण संवत 2018 व 2019 की खतौनी खाता संख्या 12 एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ दौसा के आदेश दिनांक 31.3.96 व वर्तमान जमाबंदी आदि की प्रति उक्त रेफरेंस प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत की, जिस पर अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थनापत्र रेफरेंस प्रस्तुत किया गया एव माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 20.4.1998 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर के निर्णय दिनांक 27.9.2001 जो कि सिविल रिट याचिका नंबर 4709/2001 में पारित किया गया कि सत्य प्रतिलिपियॉ आदि प्रस्तुत कर बहस में निवेदन किया कि आवंटन आदेश दिनांक 10.6.1949 के अनुसार प्रश्नगत भूमि सिवायचक थी जिसका आवंटन भारत पाक विभाजन के समय पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त से विस्थापित होकर भारत आये शरणार्थी पंजाबी 26 कृषकगण परिवार के नाम पृथक–पृथक किया गया था। आवंटीगण आवंटित भूमि पर काश्त करते रहे एवं आराजीयात की सिंचाई तत्समय जमवारामगढ बांध से निकलने वाली नहर से भी होती थी तथा उक्त भूमि पर काश्तकारों ने कूप भी बनवा लिये थे।आवंटी काश्तकारों द्वारा भूमि की जुताई बुवाई के लिए सरकार से ऋण लेने हेतु कृषि सहकारी समिति का गठन कर लिया। जिसके कारण भूमि की खातेदारी कृषि सहकारी समिति के नाम अंकित कर दी गई जबकि भू आवंटन पृथक–2 नामों से हुआ तथा खातेदारी भी पृथक–पृथक अंकित हुई एवं काश्त भी पृथक–पृथक करते थे। आवंटन आदेश आवंटियों को व्यक्तिगत नाम से किया गया था ना कि कॉपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा के नाम। उक्त आदेश को देखेजाने से भी उक्त आवंटन आदेश व्यक्तिगत व्यक्तियों के नाम से प्रश्नगत आराजी आवंटित की गई थी ना कि कॉपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा के नाम से। यदि पूर्व आवंटियों द्वारा उक्त आराजी के उत्थान हेतु यदि कोई कॉपरेटिव सोसायटी की संरचना कर ली गई तथा कालान्तर में यदि उक्त कॉपरेटिव सोसायटी अस्तित्व में नही रहती है तो उक्त आराजी पूर्व की भॉति आवंटियों के नाम व्यक्तिशः दर्ज होनी चाहिए। कॉपरेटिव सोसायटी बना दिये जाने मात्र से आराजी पर राजस्थान सरकार के हित निहित नही हो सकते है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा बहस जारी रखते हुए कहा कि पूर्व में इन्ही आवंटियों में से राजस्थान सरकार द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.4.1998 के उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी राजस्थान सरकार तहसीलदार दौसा द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत सिविल रिट याचिका नंबर 4709/2001 में पारित निर्णय दिनांक 27.9.2001 की सत्य प्रतिलिपियॉ प्रस्तुत कर अपने कथन के समर्थन में कहा गया कि उक्त निर्णय फाइनल हो गया है तथा आवंटन आदेश दिनांक 10.6.1949 पूर्व आवंटियों के व्यक्तिगत नाम से था न कि कॉपरेटिव सोसायटी के नाम से, तो उक्त निर्णय उक्त प्रश्नगत आराजी के सम्पूर्ण खातेदारान पर भी प्रभावी होता है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय 27.9.2001 के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आदेश कानूनन पारित नहीं किया जा सकता है। उक्त सम्पूर्ण तथ्य छिपाते हुए राजस्थान सरकार द्वारा उक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी दशा में तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत उक्त रैफरेन्स प्रकरण निरस्त किये जाने बाबत निवेदन किया गया। ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:19:43 IST
Reason: SelfAttested

.....निरन्तर 3पर

जिला कलेक्टर,दौसा

रेफरेंस सं0 31/2008

प्रार्थी राजस्थान सरकार की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर तथा राजस्थान सरकार द्वारा उक्त प्रकरण के अन्य समानान्तर प्रकरणों में पारित आदेशों एवं निर्णयों के अनुसार रैफरेन्स प्रकरण का निस्तारण फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि तहसीलदार दौसा के आदेश दिनांक 10.6.1949 के द्वारा शरणार्थी 26 परिवारों को तत्कालीन ऑफिस काननूगो एवं पटवारी कस्बा दौसा द्वारा ग्राम दलेलपुरा स्थित सरकारी भूमि खसरा नंबर 29 रकबा 311 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 30 रकबा 74 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 67 रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 71 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 74 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 75 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 77 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 78 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 92 रकबा 22 बीघा, खसरा नंबर 93 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 94 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 97 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 98 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 99 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 100 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 101 लगा0 147 रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 151 लगा0 165 रकबा 42 बीघा 6 बिस्वा, कुल रकबा 556 बीघा 3 बिस्वा का सुपुर्दगीनामा तैयार कर आवंटित भूमि का कब्जा दिनांक 16.6.1949 को विस्थापित परिवारों को संभला दिया गया था। सरकार की ओर से प्रस्तुत रैफरेन्स में उल्लेख किया गया है कि आवंटित भूमि बाबत कृषि सहकारिता के अनुसार कृषकों की कॉपरेटिव सोसायटी दलेलपुरा का दिनांक 27.6.1949 को पंजीयन हुआ है, जिसका पंजीयन कमांकः 423 एल दिनांक 27.6. 1949 है। अर्थात प्रार्थी सरकार की ओर से प्रस्तुत रैफरेन्स से यह सिद्ध होता है कि आवंटन व्यक्तिशः पहले हुआ है, तत्पश्चात सोसायटी का गठन हुआ है। दिनांक 16.6.1949 सुपुदर्गीनामें में आवंटी लक्ष्मी चंद पंजाबी को कब्जा संभलाने का उल्लेख है। आवंटी लक्ष्मी चंद पंजाबी द्वारा खातेदारी दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र में सोसायटी बनाने एवं ऋण जमा करवा दिया जाना व्यक्त करते हुए खातेदारी दिये जाने का निवेदन किया गया है। तत्पश्चात भू-प्रबंध अधिकारी जयपुर के आदेश दिनांक 30.11. 1981 के अनुसार उपरोक्त आवंटित भूमि कुल रकबा 556 बीघा 03 बिस्वा में से अपील संख्या 90/1981 से 93/1981 स्वीकार कर खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये गयेहै। तत्पश्चात भू-प्रबंध अधिकारी जयपुर के आदेश के विरूद्ध सैटलमेंट आयुक्त के द्वारा भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 10.01.1990 को रैफरेन्स के आदेश दिये गये जिसका उल्लेख माननीय राजस्व मण्डल के रैफरेन्स संख्या 741/1997 से 744/1997 है। उक्त रैफरेन्स में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पारित निर्णय दिनांक 20.4.1998 के अनुसार सैटलमेंट कमिश्नर के निर्णय को खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय में आवंटन व्यक्तिशः पहले हुआ है, बाद में सहकारी समिति का गठन होना व्यक्त किया है। उक्त निर्णय के विरूद्ध सहायक कलक्टर दौसा द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन संख्या 4709/2001 प्रस्तुत की गई जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट को दिनांक 27.09.2001 को खारिज कर दिया। उक्त सिंगल बैंच के निर्णय के विरूद्ध सरकार की ओर से डबल बैंच में अपील संख्या 315/2004 प्रस्तुत की गई जिसको माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने दिनांक 21.9.2005 को खारिज कर दिया। पूर्व इसी प्रकरण के समानान्तर अन्य प्रकरण में राजस्थान सरकार जरिये सहायक कलक्टर दौसा की ओर से एक रिट और प्रस्तुत की गई जो रिट पिटीशन नं0 2025/1999 है जिसको राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:19:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

.....निरन्तर 4पर

खारिज किया गया है। इस न्यायालय द्वारा निर्णित रैफरेन्स प्रकरण सं. 22/2008 निर्णय दिनांक 20.10.2015 एवं रैफरेन्स प्रकरण सं0 03/2008 निर्णय दिनांक 1.1.2020 खारिज किया गया है। कार्यालय जिला कलक्टर दौसा की ओर से अन्य समानान्तर प्रकरण में न्यायालय के निर्णय की पालना के संबंध में तहसीलदार दौसा को राजस्व शाखा के माध्यम से पत्र क्रमांक: 2795 दिनांक 24.6.2014 द्वारा निर्देश प्रदान किये गये है। इसी क्रम में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.6.2013 की पालना के संबंध में राजकीय अधिवक्ता से विधिक राय ली गई थी। उक्त राय के अनुसार समानान्तर प्रकरण में निर्णय की पालना के लिए लिखा गया है। अन्य समानान्तर प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा रैफरेन्स संख्या:एलआर/5326/2015/दौसा निर्णय दिनांक 4.12.2015 द्वारा खारिज किया गया है। तत्कालीन जिला कलक्टर दौसा द्वारा अन्य समानान्तर प्रकरण में राजस्व शाखा के माध्यम से पत्र क्रमांक:892 दिनारंक 15.3.2014 के द्वारा मार्गदर्शन चाहे जाने पर राजस्व (ग्रुप-7) विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक:प.3(82)राज 7/2014 दिनांक 16.6.2014 एवं विधि (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक:प.2(1)(98)विधि/06/2014 दिनांक 6.6.2014 के अनुसार राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.6.2013 को विधिसम्मत माना गया है एवं न्यायालय के आदेश की पालना करने के निर्देश प्रदान किये गये है। अन्य समानान्तर प्रकरण उनवानी किशोरीलाल वगै0 बनाम सरकार में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा खातेदारी अधिकार दियेजाने के आदेश प्रदान किये गये है। इसी क्रम में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने रैफरेन्स संख्या:एलआर/5629/2018/दौसा सरकार बनाम कॉपरेटिव सोसायटी निर्णय दिनांक 24.5.2019 एवं अन्य समानान्तर प्रकरण में रैफरेन्स खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में हम तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत रैफरेन्स प्रकरण खारिज योग्य समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार दौसा की ओर से आराजी खसरा नंबर 236 रकबा 2.73 है. वाके ग्राम दलेलपुरा के सम्बन्ध में प्रस्तुत रैफरेन्स प्रकरण संख्या 31/2008 समरूप प्रकृति का होने के कारण एवं उपरोक्त वर्णित समस्त निर्णयों एवं आदेशों से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ तहसीलदार दौसा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 11 जनवरी, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:19:43 IST
Reason: SelfAttested